न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 44 / 2022(2022 / 156)

1. राजूलाल पुत्र उगमा रेगर जाति रेगर निवासी प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार साहब, उप तहसील कादेडा जिला अजमेर।
--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री कमलेश कासोटिया
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात **वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2069–72** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
999–418	4295 4296	0.20 1.02	बारानी 2 बारानी 2
	कुल किता 2	रकबा 1.22हैक्टर	

उपरोक्त आराजीयात प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य मे चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त अराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियो से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडे होते है। क्योंकि उक्त आराजी पर पडौसी अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है इसलिए प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी का दावा करना लाजमी आया है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके ताकि आये दिन प्रार्थी को पडौसीयों से विवाद नही करना पड़ें एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियो में उलझना नही पडे, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी कल दिनांक 27.2.2022 को अपने खेत में स्थित बिलायती बबूलों को काटकर खेत की साफ सफाई कर खरार करने हेतु गया तो पड़ौसियो ने सीमा ज्ञान के अभाव ना तो बबूलों को काटने दिया और ना ही खरार करने दी व गाली गलोच करने लग गये। तथा कब्जा काश्त में बांधा उत्पन्न की व सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव मे मेरे खेत में लग हुए बिलायती बबूलों काटने नही दिया तथा खरार भी नही करने दी जिससे वाद कारण उत्पन्न हुअइा। जिससे उक्त प्रार्थना प्रत्र पेश करना लाजमी आया है। पूर्व में भी कई बार पड़ौसियों द्वारा सीमा चिन्ह नही होने के कारण लडाई झगडा एवं वाद विवाद किया जाता रहा है। प्रार्थी पत्थरगढ़ी की फीस नियमानुसार अदा करने को तैयार है। प्रार्थी का उक्त वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जिससे सुनने व निर्णित करने का माननीय न्यायालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तथा उपरोक्त आराजी की स्थाई पत्थरगढ़ी पड़ौसियों की उपस्थिति में करने हेतु तहसीलदार कादेडा को पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान कराने निवेदन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:45:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बेंच
(तहसील विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कादेडा वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 999–418 के कुल किता 2 कुल रकबा 1.22हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी के हिस्से पर प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:45:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner